रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 9 दिसम्बर, 2000 ई० (अग्रहायण 18, 1922 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र-जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाज़ार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर में कार्यरत श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी संग्रह अमीन को मुख्य देय व विविध देय की रसीद बही वसूली हेतु जारी की गई थी । अमीन ने इन रसीद बहियों को झोले से चोरी चली गई की सूचना दी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

रसीद बही का विवरण

जिला/ तहसील	रसीद बही का प्रकार	रशीद बही की संख्या	प्रयोग शुदा रसीदों की संख्या	बिना प्रयोग शुदा रसीदों की संख्या
1	2	3	4	5
सीतापुर लहरपुर	मुख्य देय	0432401 से 0432500 तक	41	59
,,	विविध देय	0618901 से 0619000 तक	3	97

उपरोक्त रसीद बहियां यदि किसी को मिले तो वह अधोहस्ताक्षरी को तुरन्त उपलब्ध करा दें । उपरोक्त विवरण के अनुसार बिना प्रयोग की गई रसीदों को अनाधिकृत घोषित किया जाता है और इन्हें स्वीकार न किया जाय ।

दिनांक 29 अगस्त, 2000 ई०

ह० (अस्पष्ट);
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
सीतापुर ।

नोटिस

केन्द्रीय विक्रीकर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957 के नियम 8 के उपनियम 13 के प्राविधानों के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कापरी व्यापारियों जिन्हें निम्नलिखित क्रमांकों के फार्म–सी व्यापार कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुये प्राप्त हुये थे, से खो जाने/नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा :

क्रम–संख्या	व्यापारी का नाम व पता	खोये/नष्ट हुये अथवा चोरी हुये	फार्म की संख्या
1	2	3	4
1	सर्वश्री एस० आर० प्लास्टिक, सिटी स्टेशन रोड, खुर्जा	खो जाने के कारण	फार्म–सी 576809 2 576810
2	सर्वश्री आजाद एसोसियेट्स बुलन्दशहर	उक्त	फार्म–सी 279535 1
3	सर्वश्री नैल्को इण्डिया प्रा० लि०, बी–15–16 स्पोर्टस गुड्स काम्प० देहलीरोड, मेरठ	उक्त	फार्म–सी 652930 1
4	सर्वश्री देवरिया पेपर मिल लि०, हाटा रोड, नारायणपुर, देवरिया	उक्त	फार्म–सी यू० पी० एस० टी० 93 1 0970747
5	सर्वश्री दुर्गा जी ट्रेडर्स, 75 सिविल लाइन (आजाद नगर) बहराइच रोड, गोण्डा	पंजीयन निरस्त होने के कारण	फार्म–सी 1402042 1402043 2

दिनांक 11 नवम्बर, 2000 ई०

एस० एम० सिन्हा,
डिप्टी कमिश्नर (विधि)
व्यापार कर उ० प्र०,
लखनऊ।

नोटिस

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, भदोही (जनपद रविदासनगर)

[अन्तर्गत धारा 6 (2अ) नोटरी ऐक्ट, 1956]

[मुख्यालय तहसील भदोही एवं तहसील ज्ञानपुर, जनपद (भदोही) सन्त रविदासनगर के समस्त नागरिकों को]

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न नोटरी आयक्त आवेदक की नियुक्ति के विरुद्ध आप अपनी आपत्ति यदि कोई, हो, तो इस नोटिस के प्रकाशन के 14 दिन के अन्दर मेरे न्यायालय में दाखिल करें।

नाम अधिवक्ता मुख्यालय तहसील भदोही एवं तहसील ज्ञानपुर बार एसोसिएशन जो नोटरी आयुक्त तहसील भदोही एवं ज्ञानपुर हेतु आवेदक है :

नाम अधिवक्ता तहसील ज्ञानपुर

सर्वश्री---

1--रा.म शिरोमणि निषाद
2--मो0 अयूब
3--अजय कुमार पाठक
4--आदिनाथ पाठक
5--बंशधारी
6--ब्रह्मदेव यादव
7--विरेन्द्र बहादुर चौहान
8--विद्याकान्त
9--विकास नारायण सिंह
10--चन्द्रलेखा दुबे
11--जलता प्रसाद बिन्द
12--मधु कुमार श्रीवास्तव
13--ओम प्रकाश श्रीवास्तव
14--ओंकारनाथ पाण्डेय
15--प्रमोद कुमार
16--पारसनाथ यादव
17--प्रेमधर त्रिपाठी
18--रामदीन
19--रविशंकर
20--राजधर
21--रविन्द्र नाथ मिश्र
22--रमेश चन्द्र पाण्डेय
23--रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव
24--श्यामधर शुक्ल
25--सोमारू राम
26--श्यामाशंकर सिंह
27--उमा शंकर
28--उमेश चन्द्र अग्रहरी
29--उमाकान्त त्रिपाठी
30--यतीन्द्र देव मालवीय

नाम अधिवक्ता तहसील भदोही

सर्वश्री---

1-- कंचनराम बिन्द
2--अनिल कुमार विश्वकर्मा
3--अरविन्द सिंह
4--अशोक कुमार
5--लक्ष्मी किंकर पाण्डेय
6--रविन्द्र नाथ दूबे
7--लाल बहादुर

आज दिनांक 25 नवम्बर, 2000 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के जारी किया गया।

सरोज बाला,
जनपद न्यायाधीश,
भदोही-ज्ञानपुर।

नगर पालिका परिषद, शाहजहांपुर

27 नवम्बर, 2000 ई0

सं0 262/XIX---C-संयुक्त प्रान्त नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 नगर पालिका परिषद् अधिनियम सं0 2 सन् 1916) की धारा 298 की उप-धारा (2) सपठित धारा 301 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद् शाहजहांपुर पालिका सीमान्तर्गत पालिका परिषद् के तहबाजारी के ठेकों पर नियंत्रण करने हेतु निम्न उपविधि बनायी गयी है। जिसे लागू करने हेतु आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित हेतु दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण के अंक दिनांक 13 फरवरी, 1999 में प्रकाशन कराया गया है नियत समय में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतः विशेष प्रस्ताव संख्या 1, दिनांक 4 अक्तूबर 1999 पारित उपविधि को धारा 301 (बी) के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी।

नियमावली

1--संक्षिप्त नाम और प्रसार और प्रारम्भ--(1) यह उपविधि शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के तहबाजारी के ठेको पर नियंत्रणविधि 1999 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद् की सीमा में प्रदत्त होगी।

(3) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2--परिभाषायें--(1) विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में :

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2 सन् 1916) से है।

(ख) "अनुज्ञाप्ति व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मार्ग, नाली या खुले स्थान पर सामग्री न हो और जिसने इस उपविधि के अन्तर्गत नगरपालिका की सीमा में उक्त प्रयोजन हेतु अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो :

(ग) "अनुज्ञा-पत्र" का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा से है।

(घ) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, शाहजहांपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) "अनुज्ञा" का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत अनुज्ञा से है।

(च) "नगरपालिका" का तात्पर्य शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् से है ।

(छ) "वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष अभिप्रेरित होगा ।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु उपविधि में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं ।

3--कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल, मार्ग, गली, मार्गपटरी, पार्क या किसी खुले स्थान पर न तो किसी वस्तु की बिक्री करेगा; न ही बिक्री हेतु प्रदर्शित करेगा, न ही कोई स्टाल या खोखा लगायेगा, न ही कोई वाहन या पशु खड़ा करेगा जब तक की ऐसे व्यक्ति द्वारा इस उपविधि में संलग्न अनुसूची में नियम शुल्क के अनुसार शुल्क अदा करके नगर पालिका से उक्त प्रयोजनार्थ अनुज्ञाप प्राप्त कर ली गई हो जिसकी अवधि प्रतिदिन की होगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी वाहन से उक्त शुल्क की वसूली नहीं की जावेगी जो किसी दुकान या भवन के समक्ष माल उतारने या चढ़ाने के लिए 15 मिनट से अधिक अनधिक समय के लिए खड़ा किया गया हो और ऐसे वाहन के खड़े होने से यातायात प्रभावित न हो ।

4--नगर पालिका द्वारा ऐसी अनुज्ञा किसी ऐसे स्थान के लिए नहीं दी जावेगी जो कोई प्रान्तीय या स्थानीय मार्ग हो और उसे नगर पालिका द्वारा संरक्षित न किया जाता हो जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा न हो और मार्ग का संरक्षण करने वाले प्राधिकारी को ऐसे स्थल की तहबाजारी के लिए प्रयोग में लिए जाने पर उसकी सहमति प्राप्त कर ली हो ।

5--तहबाजारी की वसूल ठेकेदार को दी जावेगी अथवा उसकी वसूली नगरपालिका के सेवकों के माध्यम से नित्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।

6--ठेकेदार अथवा नगर पालिका द्वारा तहबाजारी की वसूली की स्थिति में वसूली की रसीद/जारी किया जावेगा और उसका विवरण कार्यालय प्रति में रख जावेगा ।

7--प्रत्येक दिन की वसूली का योग रसीद की कार्यालय प्रति में यथास्थान प्रदर्शित किया जावेगा ।

8--रसीद धारक किसी भी समय नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसी रसीद दिखायेगा । रसीद न दिखाने पर उस व्यक्ति को उसके द्वारा ग्रहण किये स्थल से तुरन्त हटा दिया जावेगा ।

9--रसीद दिखाये जाने पर परीक्षणकर्ता अधिकारी उसका मिलान कार्यालय प्रति से करेगा और सन्तुष्ट होने पर रसीदधारक को उसके द्वारा दिखाई गई रसीद लौटा दिया जावेगा ।

10--मेलों और पर्वों के अवसर पर विशेष स्थल और विशेष तहबाजारी शुल्क नियत किए जावेंगे या तहबाजारी के ठेके अनुबन्ध-पत्र दिये जा सकेंगे । सामान्य रूप से तहबाजारी वसूली की दरें निम्न प्रकार होंगी :

रेट सूची तहबाजारी

मद का नाम	दरें
	रु०
1--सभी प्रकार के फड़ जिसका क्षेत्रफल 4×4 फिट अथवा इससे ऊपर	4.00 प्रतिदिन 0.50 प्रति दिन प्रति वर्ग फिट
2--ठेला दस्ती	4.00 प्रति ठेला प्रति दिन
3--दूध साइकिल द्वारा	4.00 प्रति साइकिल प्रतिदिन
4--मावा (खोआ)	2.00 सरचार्ज प्रति टोकरी प्रति दिन
5--मावा (खोआ) साइकिल द्वारा	5.00 प्रति दिन प्रति साइकिल
6--मावा (खोआ) बजरिये रिक्शा	2.00 प्रति टोकरी प्रति दिन या 10.00 प्रति रिक्शा जो अधिक हो
7--मछली छोटी बड़ी	बिक्री का 10 प्रतिशत प्रतिदिन
8--आयात शुल्क मछली छोटी बड़ी	5.00 प्रति टोकरी प्रति दिन
9--आयात शुल्क कोयला	25.00 प्रति ट्रक प्रति दिन
10--आयात शुल्क लकड़ी	10.00 प्रति तांगा/घोड़ा गाड़ी प्रति दिन 25.00 प्रति भैंसा गाड़ी/भैंसा बुग्गी 50.00 प्रति ट्राली 75.00 प्रति ट्रक प्रति दिन
11--उपला कन्डा	5.00 प्रति रिक्शा प्रति दिन 10.00 प्रति घोड़ा/खच्चर/गधा प्रति दिन 20.00 घोड़ा बुग्गी, घोड़ा तांगा प्रति दिन 50.00 भैंसा/गाड़ी/भैंसा बुग्गी 100.00 ट्राली

1	2
	रु०
12--रोड साइड पर खड़ा करके बेंचे जाने वाले प्रत्येक सामान पर महसूल शुल्क	3.00 सरबोझ
	5.00 प्रति घोड़ा/गधा/खच्चर द्वारा प्रतिदिन
	10.00 घोड़ा/तांगा या घोड़े बुग्गी द्वारा
	25.00 भैंसा गाड़ी/भैंसा बुग्गी द्वारा प्रति दिन
	50.00 ट्राली द्वारा प्रतिदिन
	100.00 ट्रक प्रति दिन
13--घोड़ा तांगा/घोड़ा व बुग्गी	4.00 प्रति तांगा/घोड़ा बुग्गी प्रतिदिन तांगा स्टैण्ड पर
14--चारा हरा	2.00 सरबोझ प्रति दिन
	5.00 प्रति घोड़ा तांगा/खच्चर/गधा प्रति दिन
	10.00 प्रति घोड़ा तांगा/घोड़ा बुग्गी प्रति दिन
	25.00 प्रति भैंसा गाड़ी/भैंसा बुग्गी प्रति दिन
	50.00 प्रति ट्राली प्रति दिन
	100.00 प्रति ट्रक प्रतिदिन
15--चारा सूखा	2.00 सरबोझ प्रति दिन
	5.00 प्रति घोड़ा/खच्चर/गधा और रिक्शा प्रतिदिन
	10.00 प्रति घोड़ा/घोड़ा बुग्गी प्रति दिन
	50.00 प्रति भैंसा गाड़ी/भैंसा बुग्गी प्रति दिन
	75.00 प्रति ट्राली प्रति दिन
	100.00 प्रति ट्रक प्रति दिन
16--किराना व अन्य सामान जो नगर में फेरी में बेचा जाता है	5.00 प्रति सरबोझ प्रति दिन
	5.00 प्रति साइकिल व रिक्शा घोड़ा खच्चर गधा प्रति दिन
	10.00 प्रति तांगा, घोड़ा बुग्गी प्रति दिन
	25.00 प्रति भैंसा गाड़ी/भैंसा बुग्गी प्रति दिन
	50.00 प्रति ट्राली प्रति दिन
	100.00 प्रति ट्रक प्रति दिन
17--फड़ पक्के जो पालिका द्वारा आवंटित नहीं हैं	3.00 प्रति फड़ प्रति दिन
18--लोडिंग शुल्क पालिका की सीमा के अन्तर्गत, रोड पटरी पर वाहन खड़ा करके सामान भरे जाने पर	3.00 प्रति ठेला, दस्ती रिक्शा प्रति दिन
	5.00 प्रति घोड़ा, खच्चर/गधा प्रति दिन
	10.00 प्रति घोड़ा/घोड़ा बुग्गी प्रतिदिन
	50.00 प्रति ट्रक प्रति दिन

नोट--जो व्यक्ति आढ़त का कार्य करता है उसको पालिका से इस कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व अनुज्ञा शुल्क के रूप में अंकन 500.00 (पांच सौ रुपये) तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण शुल्क 250.00 (दो सौ पचास) रुपये जमा करना होगा जो अग्रिम रूप में प्रत्येक वर्ष मार्च में जमा की जायेगी जमा न होने की दशा में शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति मास के हिसाब से अतिरिक्त जमा करना होगा।

सरोज गुप्ता,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
शाहजहांपुर।

नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर

27 नवम्बर, 2000 ई०

सं० 263/XIX-E—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका परिषद् अधिनियम 1916 (सं० प्र० नगर पालिका परिषद् अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298 की उपधारा (2) सपठित धारा 301 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर पालिका सीमान्तर्गत पालिका परिषद् के होटल लाजिंग, गेस्टहाउस बारात घर पर नियंत्रण करने हेतु निम्नलिखित उपविधि बनायी गयी है। जिसे लागू करने हेतु आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण के अंक दिनांक 13 फरवरी, 1999 में प्रकाशन कराया गया है। नियत समय में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतः विशेष प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 4 अक्टूबर, 1999 में पारित उपविधि की धारा 301 (बी) के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन तिथि से लागू मानी जायेगी।

नियमावली

1—संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ—(1) यह उपविधि शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् होटल, लाजिंग गेस्टहाउस, बारात घर पर नियंत्रण उपविधि, 1999 कहलायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2—परिभाषायें—(1) विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में :

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2 सन् 1916) से है।

(ख) "अनुज्ञापित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस; बारात घर का स्वामी अथवा संचालक हो और जिसे इस उपविधि के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् की सीमा में होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस बारात घर चलाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ग) "अनुज्ञा-पत्र" का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा-पत्र से है।

(घ) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शाहजहांपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) "अनुज्ञा" का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा से है।

(च) "नगर पालिका परिषद्" का तात्पर्य शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् से है।

(छ) "वर्ष" से कैलेन्डर वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उपविधि में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

3—प्रतिशेध—नगरपालिका परिषद सीमा में किसी भी स्थल पर अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना न तो किसी वर्तमान भवन या परिसर का होटल, लाजिंग, गेस्टहाउस, बारातघर के रूप में प्रयोग किया जायेगा न ही किसी नये होटल, लाजिंग, गेस्टहाउस, बारात घर का निर्माण किया जा सकेगा।

4—आपत्ति—किसी भी जनमार्ग या सड़क से 3 मीटर की दूरी पर ही होटल, लाजिंग गेस्टहाउस, बारातघर, निर्मित किया जा सकेगा और ऐसे निर्माण को अनुज्ञा विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र के साथ अधिशासी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करने पर ही दिया जाना अपेक्षित होगा।

5—ध्वस्तीकरण/शमन—इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना निर्मित होटल, लाजिंग, गेस्टहाउस, बारातघर नगर पालिका परिषद् द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा अथवा ऐसा अपराध अनुसूची में दी हुई दरों पर ही शमनित किया जा सकेगा।

6—अग्रभाग का विनियमन—होटल लाजिंग, गेस्ट-हाउस, बारातघर के अग्रभाग अथवा किनारे के किसी भाग में वाहनों और गाड़ियों को खड़ी करने के लिये पर्याप्त स्थान रखा जायेगा और कोई भी वाहन या गाड़ी, ठेला, अथवा साइकिल या स्कूटर जनमार्ग, सड़क अथवा फुटपाथ पर खड़ा नहीं किया जायेगा।

7—आगन्तुकों की सुविधायें—अनुज्ञप्ति व्यक्ति द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि आगन्तुक व्यक्तियों के वाहनों, गाड़ियों व उक्त प्रकार के वाहनों से जनमार्ग या सड़क पर कोई अवरोध उत्पन्न न हो, अन्यथा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस, बारातघर के यथाशक्ति स्वामी अथवा संचालक का होगा और उसका अभियोजन सहित, उसे, इस उपविधि के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकेगा।

8—गली में निर्माण पर रोक—कोई भी होटल, लाजिंग, गेस्टहाउस, बारातघर किसी गली में निर्मित अथवा संचालित नहीं किया जायेगा।

9--आवेदन पत्र का परीक्षण एवं जांच--अधिशासी अधिकारी आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व होटल, लाजिंग गेस्टहाउस, बारातघर चलाये जाने का स्थल, वाहनों के खड़े होने के लिये यथोचित स्थान, वातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न होने, पर्यावरण प्रदूषित न होने से अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच करायेंगे और यदि कोई भी प्रदूषण निहित हो तो उस स्थिति में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

10--अनुज्ञा और उसकी अवधि--प्रत्येक दृष्टि में पूर्णतयः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद की सीमा में होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस, बारात घर का कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिए इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दिया जावेगा।

11--अनुज्ञा का नवीनीकरण--(क) अनुज्ञा का नवीनीकरण जनवरी से दिसम्बर तक के लिए होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(ख) अनुज्ञा का नवीनीकरण अधिशासी अधिकारी के पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने पर ही किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिसम्बर मास में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगर पालिका परिषद कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी।

(घ) यदि ऐसा आवेदन-पत्र प्रथम जनवरी के उपरान्त किन्तु फरवरी के पूर्व में प्रस्तुत किया जाता है तो अनुसूची में दी हुई दरों पर विलम्ब शुल्क दिया जावेगा।

(ङ) यदि फरवरी के उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में नवीनीकरण शुल्क शमन शुल्क अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

12--अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरण--यदि कोई अनुज्ञाधारक द्वारा किसी भी समय उपर्युक्त शर्तों सहित लाइसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा अन्य किसी प्रकार प्रदूषण होना सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में उस अनुज्ञाधारक की अनुज्ञा, उसे बचाव का युक्ति युक्त अवसर दिये जाने के पश्चात निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसी अनुज्ञा सदा के लिए निरस्त कर दी जायेगी।

13--निषेध--अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस, बारात घर का कोई कार्य नगर पालिका की सीमा में जारी नहीं रखा जा सकेगा।

14--अपील--अधिशासी अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शाहजहांपुर को, अधिशासी अधिकारी के आदेश के दिनांक के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, जिस पर अध्यक्ष द्वारा 30 दिनों में निर्णय लिया जायेगा जो कि अन्तिम होगा।

व्यवसाय	शुल्क: अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क		विलम्ब शुल्क	दण्ड
1	2		3	4
	रु०			रु०
होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस, बारात घर	1000.00	20 प्रति-शत प्रति-माह		500.00 से 1000.0 तक
तीन सितारा होटल	9000.00	तदेव		तदेव
पांच सितारा होटल	12000.00	तदेव		तदेव

शास्ति

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद एतद्द्वारा यह निर्देश देते हैं कि इस उपविधि में दिए गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो 1000 रु० तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, 25 रु० प्रति दिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अनुसूची

शमन शुल्क की दरें

नगर पालिका परिषद से यह उपविधि के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त किए बिना निर्माण/संचालन विषयक अपराध के शमन हेतु दरें--

		रु०
1	अनुज्ञा के बिना होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस बारात घर का निर्माण	10,000.00
2	अनुज्ञा के बिना किसी वर्तमान भवन या परिसर का संचालन	5,000.00
3	अनुज्ञा के बिना होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस, बारात घर का निर्माण और संचालन	20,000.00

सरोज गुप्ता,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
शाहजहांपुर।

पी० एस० यू० पी०--36 हिन्दी गजट--भाग--8--2000 ई०।

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।